न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 68/2022 — तारीख रजू:— 16.11.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. भागमल पुत्र किशोरी जाति गुर्जर निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————प्रार्थी

बनाम

1.	द्रो पुत्री रामजीलाल	जाति गुर्जर
2.	देवीसिंह पुत्र रामजीलाल	निवासी वमनपुरा
3.	पूरन पुत्र रामजीलाल	तहसील हिण्डौन
4.	मोती पुत्र रामजीलाल	जिला करौली

5. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

बाबत किये जाने नामसंशोधन

उपस्थित:—1. श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट प्रार्थी

2. श्री दिलीप कुमार कुशवाहा एडवोकेट अप्रार्थी सं01ता 4

निर्णय

दिनांक :— 4/9/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट बाबत किये जाने नाम संशोधन विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि खातेदार बसन्ती पत्नि रामजीलाल फौत हो चुकी है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 जायज वारिस व कायम मुकाम कानूनी है। तथा खातेदार सूजी पुत्र जौहरी लाऔलाद फौत हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज है कि प्रार्थी के पिता किशोरी पुत्र जौहरी का देहान्त दिनांक 15.12.2021 को हो चुका है, उसका प्रार्थी अकेला मालिक है। खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में किशोरी पुत्र जौहरी का संवत 2022 से 2025 में नाम सही दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज है कि सेटिलमेंट अधिकारियों ने खाता संख्या 56–58 में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम किरोडी पुत्र जौहरी संवत 2046 में गलत दर्ज हो गया है, जबकि पूर्व की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में किशोरी सही नाम दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2038 में भी सहवन से किरोडी गलत दर्ज हुआ है। अप्रार्थी 1 ता 4 सहखातेदार है। अतः नाम दर्ज हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1710, 1712, 1713, 388, 434, 435 436 कुल रकवा 1.5 हैक्टेयर वाके ग्राम वमनपुरा तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें वादी के मृतक पिता किशोरी का 1/3 हिस्से दर्ज है, तथा खातेदार मृतक सूजी पुत्र जौहरी का 1/3 हिस्सा था जो लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके पुराने नम्बर साविक 388,389 मिन 463 मि नम्बर रकवा थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 दर्ज किया है कि प्रार्थी के मृतक पिता का रिकॉर्ड में सही नाम किशोरी पुत्र जौहरी है, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र पेन कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खरैटा के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज है कि पिता का सही नाम खाता संख्या 35, 34 और खाता संख्या नया 34 व पुराना 33 में किशोरी पुत्र जौहरी दर्ज है। जबकि खाता सं0 नया 33 पुराना 32 वाके ग्राम वमनपुरा जमाबन्दी 2073 से 2075 में गलत किरोडी दर्ज है सही नाम किशोरी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज है कि प्रार्थी ने माननीय तहसीलदारजी हिण्डौन के यहाँ अपने पिता का नाम में संशोधन करवाने हेतु दिनांक 04.10.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदारजी ने यह कहा है कि माननीय न्यायालय से आदेश लेकर के आओ तभी नाम में संशोधन किया जावेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना –पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का गलत नाम किरोडी पुत्र जौहरी को हजफ किया जाकर प्रार्थी के पिता का सही नाम किशोरी पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जौहरी दर्ज कर संशोधन कर दिया जाने की कृपा करें। अन्य दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ साबित होकर वह भी अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं01 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 ता 4 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 1 ता 4 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 बिना जानकारी के स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8, 9, 10 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 8, 9, 10 कानूनी है, जबाव की आवश्यकता नहीं है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज है कि प्रार्थी के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी है जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता के नाम किरोड़ी के स्थान पर किशोरी कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 की ओर से इकबालिया जबाव पेश है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 ,नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2022–25, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग सं0 2042–46, नकल जमाबन्दी सं0 2061–64, नकल जमाबन्दी सं0 2065–68, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. कमांक 720635906828 किशोरी पुत्र जौहरी निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 720635906828 कशोरी पुत्र जौहरी निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली, 50/–रूपया के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लक्ष्मण गुर्जर पुत्र भागमल गुर्जर निवासी बमनपुरा खरैटा तहसील हिण्डौन,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सरपंच श्री भूदेवसिंह डागुर ग्राम पंचायत खरैटा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2022, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी किरोडी पुत्र जौहरी हि0 1/3 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 484 रकबा 0.51 है0, 560 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशोरी पुत्र जौहरी हि0 1/6 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
388	4 बिस्वा	388	0.06
389 मिन	2 बीघा 16 बिस्वा	434	0.04
389 मिन	–	435	0.35
389 मिन	2 बीघा 16 बिस्वा	436	0.36
473 मिन	3 बीघा 7 बिस्वा	1710	0.04
473 मिन	–	1712	0.41
473 मिन	–	1713	0.29

नकल जमाबन्दी सं0 2022–25 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 388 रकबा 4 बिस्वा, 389 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 473 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम खरैटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामजीलाल सूजी किशोरी पि0 जोहरी जाति गूजर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 388 रकबा 4 बिस्वा, 389 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 473 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम खरैटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामजीलाल किरोडी सूजी पि0 जौहरी कौम गूजर सा0देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग सं0 2042–46 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामजीलाल किरोडी सूजी पि0 जौहरी कौम गूजर सा0देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामजीलाल किरोडी सूजी पि0 जौहरी कौम गूजर सा0देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2065–68 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह पूरन मोती पि0 रामजीलाल बसन्ती बेबा रामजीलाल द्रो पुत्री रामजीलाल, किरोडी सूजी पि0 जौहरी कौम गूजर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह पूरन मोती पि0 रामजीलाल बसन्ती बेबा रामजीलाल द्रो पुत्री रामजीलाल, किरोडी सूजी पि0 जौहरी कौम गूजर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड यू.आई.डी. कमांक 720635906828 किशोरी पुत्र जौहरी निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 720635906828 कशोरी पुत्र जौहरी निवासी वमनपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

50/–रूपया के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लक्ष्मण गुर्जर पुत्र भागमल गुर्जर निवासी बमनपुरा खरैटा तहसील हिण्डौन के द्वारा अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि मेरे बाबा किशोरी गुर्जर का निधन हो चुका है। मेरे बाबा का सही नाम किशोरी गुर्जर जो मेरे बाबा के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, आदि में दर्ज है जबकि जमीन जमाबन्दी नकल में गलती से किरोडी दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरे बाबा का सही नाम किशोरी गुर्जर जमाबन्दी नकल में दर्ज कराना चाहता हूँ।

सरपंच श्री भूदेवसिंह डागुर ग्राम पंचायत खरैटा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2022 में अंकित किया है कि किरोडी पुत्र जोरी किशोरी पुत्र जौहरी एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि सही नाम किशोरी पुत्र जौहरी जाति गुर्जर निवासी वमनपुरा पोस्ट खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली का निवासी है। जिनकी मृत्यु दिनांक 25.12.2021 को हो चुकी है। भू–अभिलेख में इनका नाम किरोडी पुत्र जौहरी के स्थान पर किशोरी पुत्र जौहरी करने की अनुशंषा की जाती है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं01 ता 4 ने भी इकबालिया जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है और किरोडी पुत्र जौहरी के स्थान पर किशोरी पुत्र जौहरी संशोधन करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक भू–अभि0/2025/681 दिनांक 07.05.2025 पेश कर पत्र में अंकित किया है कि पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी भागमल पुत्र किशोरी जाति गुर्जर निवासी वमनपुरा गुर्जर के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी सही बताया गया है। किरोडी पुत्र जौहरी के नाम से कोई भी व्यक्ति वमनपुरा गुर्जर में नहीं है। वादी भागमल ने अपने पिता के संबंधित दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध कराये है, जिनमें वादी के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खरैटा द्वारा भी इसी आश्य से प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2062–64 की खाता संख्या 62 में रामजीलाल सूजी किशोरी पुत्र जौहरी दर्ज है जबकि खाता संख्या 63

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में रामजीलाल सूजी किरोडी पुत्र जौहरी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य व ग्रामवासियान से जानकारी अनुसार वादी के पिता का नाम किशोरी पुत्र जौहरी किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रिकार्ड में वादी के पिता का नाम किरोडी पुत्र जौहरी हि0 1/3 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार के नाम गलत दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम किशोरी पुत्र जौहरी है, जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का प्रार्थी अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत् नाम संशोधन किये जाने विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत् नाम संशोधन किये जाने विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.04 है0, 1712 रकबा 0.41 है0, 1713 रकबा 0.29 है0, 388 रकबा 0.06 है0, 434 रकबा 0.04 है0, 435 रकबा 0.35 है0, 436 रकबा 0.36 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम वमनपुरा गूजर तहसील हिण्डौन में खातेदार किरोडी पुत्र जौहरी हि0 1/3 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशोरी पुत्र जौहरी हि0 1/3 जाति गुर्जर सा. ग्राम खातेदार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 4/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली